मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31 /12/2019

क्र. एफ 16-22/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा मे.रॉलसन (इंडिया) लि. द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, पीथमपुर जिला धार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार कंपनी की प्रस्तावित रेडियल टायर निर्माण परियोजना को राज्य शासनादेश क्र. 16-22/2019/ए-ग्यारह दिनांक 14.10.2019 के द्वारा स्वीकृत सुविधाओं को भारत सरकार के कर कानून (The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019) में किए गए परिवर्तन के दृष्टिगत तथा कम्पनी द्वारा उक्त संशोधन में निहित प्रावधानों की पूर्ति करने की शर्त पर परियोजना क्रियान्वयन हेतु नवगठित एस.पी.व्ही. मे.रॉलसन टायर्स लि. के पक्ष में जारी किये जाने का निर्णय लिया गया कि:-

(i) उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2019) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता 40 प्रतिशत की समान दर पर परियोजनान्तर्गत प्रथम चरण में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक को किए गए पात्र वास्तविक पूंजी निवेश पर शर्तों के अध्याधीन दी जावे।

(ii) कंपनी की प्रस्तावित परियोजना को पूर्व में स्वीकृत 100 एकड़ भूमि प्रचलित प्रीमियम के 25 प्रतिशत दर पर आवंटित की गयी थी। भूमि हेतु देय प्रीमियम राशि चार समान वार्षिक किश्तों में प्राप्त की जावे, परन्तु देय विकास शुल्क कंपनी को एकमुश्त जमा करना होगा।

(iii) कंपनी को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ निम्न शर्तों के अधीन देय होंगे :-

(1) नवगठित कंपनी निर्धारित प्रक्रियानुसार, शुल्क सहित विधिवत आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) परियोजना अंतर्गत सड़क परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करेगी।

(3) नीति अन्तर्गत प्राप्त सहायता का पुर्ननिवेश प्रदेश में ही नवीन इकाई की स्थापना/इकाई के विस्तार एवं आधुनिकीकरण में किये जाने संबंधी अंडरटेकिंग (घोषणापत्र) प्रस्तुत करेगी।

(4) इकाई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त शर्तों के संबंध में स्वप्रमाणित पत्र प्रस्तुत करेगी।

(iv) कम्पनी की परियोजना अंतर्गत वेंडर इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2019) की कण्डिका क्रमांक (9) में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तो के अध्याधीन प्रदान किया जावे।

(v) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा)
31/12/19

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर .....

भोपाल, दिनांक 31/12/2019

क्र. एफ 16-22/2019/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स रालसन (इण्डिया) लि., जी.टी. रोड, धान्दरी कलॉ, लुधियाना - 141003 (पंजाब)।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
31/12/19
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग